28/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
मूल वाद स्वीकार किया जा चुका है।
जिससे उक्त T.I प्रार्थना पत्र का कोई
औचित्य नही रह जाता हैं लिहाजा
उक्त T.I प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर
नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner